बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

पत्रांक – प्र07–वि0बैठक0अनु0–01/14–4107 खाद्य, पटना/दिनांक–24/08/18

प्रेषक,

पंकज कुमार,
सरकार के सचिव।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी।

विषय :– **जन वितरण प्रणाली के दुकानों का Online Inspection Report को Upload करने के सम्बन्ध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि माननीय मुख्यमंत्री, बिहार द्वारा विभागीय समीक्षा के क्रम में निदेश दिया गया कि अनुमंडल पदाधिकारियों के कार्यकलापों में आपूर्ति संबंधित कार्यो की समीक्षा की जाय, तदनुसार अनुमंडल पदाधिकारियों के कार्यकलाप की समीक्षा हेतु Software विकसित की गयी, ताकि उनके कार्यकलापों की समीक्षा विभाग के स्तर पर online की जा सके। इस संदर्भ में विभागीय पत्रांक–4370 दिनांक–29.08.2017, 4443 दिनांक–01.09.2017, 4849 दिनांक–25.09.2017, 5839 दिनांक–20.11.2017, 5599 दिनांक–27.11.2017, 959 दिनांक–22.02.2018, 1320 दिनांक–13.03.2018, 2170 दिनांक–08.05.2018 एवं 2808 दिनांक–12.06.2018 द्वारा संसूचित भी किया गया है। अनुमंडल पदाधिकारियों को जन वितरण प्रणाली में निर्धारित दायित्वों का निर्धारण निम्नवत् किया गया है :–

(i) अनुमंडल पदाधिकारियों द्वारा जन वितरण प्रणाली दुकानों का निर्धारित संख्या में निरीक्षण।
(ii) राशन कार्ड हेतु प्राप्त आवेदनों का ससमय निष्पादन।
(iii) दुकानवार आवंटन की स्वीकृति निर्धारित समय–सीमा में निर्गत करना।
(iv) आवंटन हेतु ई–चालान ससमय जमा करना।
(v) डोर स्टेप डिलेवरी निर्धारित समय में सुनिश्चित करना।
(vi) जिला/अनुमंडल/प्रखंड स्तरीय अनुश्रवण निगरानी समिति की मासिक बैठक का आयोजन।
(vii) PGRO एवं अन्य माध्यमों से प्राप्त शिकायतों का ससमय निष्पादन।

उपर्युक्त बिन्दुओं में अंकित बिन्दुओं का Software सभी अनुमंडल पदाधिकारियों को उपलब्ध करा दिया गया है एवं विभागीय वेबसाईट से भी लिंक किया गया है।

अतः पुनः अनुरोध है कि उक्त बिन्दुओं पर की गई कार्रवाई को POIMS के माध्यम से प्रत्येक माह के 5वीं तिथि तक एवं विशेष परिस्थिति में 10वीं तिथि तक अपलोड करने की कार्रवाई करने हेतु निदेशित करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन,
24/8/2018
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक– प्र07–वि0बैठक0अनु0–01/14–4107 खाद्य, पटना/दिनांक–24/08/18
प्रतिलिपि – प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी उप निदेशक (खाद्य)/निदेशक, उप मिशन (कृषि), बिहार विकास मिशन, पटना/अपर जिला दण्डाधिकारी (आपूर्ति), पटना/विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी, पटना/सभी जिला आपूर्ति पदाधिकारी/सभी अनुमंडल पदाधिकारी एवं आई0टी0 प्रबंधक, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24/8/2018
सरकार के सचिव।

D:\M_2016\Sec_7\Inspection.doc